

## परिशिष्टों की टिप्पणियां

### परिशिष्ट I की टिप्पणी:

1. जहाँ किसी प्रमुख समूह के अंतर्गत एक या अनेक उप समूहों के ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ संबंधित राशि बिक्री-कर को छोड़कर 'अन्य उपसमूह' के सामने दर्शाई गई है, बिक्री-कर से संबंधित राशि 'राज्य बिक्री-कर' नामक उप-समूह के सामने दर्शाई गई है।
2. 'केंद्र से अनुदान' के मामले में जहाँ 'राज्य योजना कार्यक्रम', 'केंद्रीय योजना कार्यक्रम', 'केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम' और 'गैर-योजना अनुदान' संबंधी ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ संबंधित राशि 'राज्य योजना कार्यक्रम' के सामने दर्शाई गई है। इसी तरह जहाँ 'केंद्रीय योजना कार्यक्रम' और 'केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम' के ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ संबंधित राशि 'केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम' के सामने दर्शाई गई है।
3. वर्ष 2005-06 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर, झारखंड के आँकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
4. आंकड़े पूर्णांकन के अधीन हैं।

### परिशिष्ट II की टिप्पणी:

1. जहाँ किसी प्रमुख समूह के किसी एक या कई उप-समूहों के ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ संबंधित राशि "अन्य" उप-समूह के सामने दर्शाई गई है।
2. वर्ष 2005-06 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर, झारखंड के आँकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।
3. योजनेतर व्यय को राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए गए अनुसार संबंधित लेखा-शीर्ष के लिए कुल व्यय से योजना व्यय को घटाकर निकाला जाता है। इसलिए कुछ राज्यों के लिए व्यय लेखा-शीर्ष के अंतर्गत योजनेतर व्यय के ऋणात्मक आंकड़े दिख सकते हैं।
4. सभी आंकड़े पूर्णांकन के अधीन हैं।

### परिशिष्ट III की टिप्पणी:

1. 'लोक लेखा' सहित सभी आंकड़ें सकल आधार पर हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम "आंतरिक ऋण" में शामिल किया है। जबकि भारिबैंक के पास "नकदी शेष निवेश खाता" और जमा राशियां क्रमशः 'आंतरिक ऋण और उच्च और विविध' में शामिल की गई हैं। निवल आधार पर कुल पूंजी प्राप्ति लेने वाले पिछले वर्षों के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ दिया है।
2. उपसमूह 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि', 'प्रारक्षित निधि', 'जमा और अग्रिम' 'उच्च और विविध' और 'विप्रेषण', 'लोक लेखा' से संबंधित है।
3. जहाँ किसी प्रमुख समूह के किसी एक या कई उप-समूह के ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ संबंधित राशि 'अन्य' उपसमूह के सामने दर्शाई गई है।
4. 'केंद्र से अनुदान' के मामले में जहाँ 'राज्य योजना कार्यक्रम', 'केंद्रीय योजना कार्यक्रम', 'केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम' और 'गैर-योजना अनुदान' संबंधी ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ संबंधित राशि 'राज्य योजना कार्यक्रम' के सामने दर्शाई गई है। इसी तरह जहाँ 'केंद्रीय योजना कार्यक्रम' और 'केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम' के ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ संबंधित राशि 'केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम' के सामने दर्शाई गई है।
5. वर्ष 2005-06 के लिए जम्मू और कश्मीर, झारखंड के आँकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।
6. सभी आंकड़े पूर्णांकन के अधीन हैं।

### परिशिष्ट IV की टिप्पणी:

1. 'लोक लेखा' तथा 'आकस्मिकता निधि' के अंतर्गत दिए गए आंकड़ों सहित सभी आंकड़ें सकल आधार पर हैं। लोकलेखा को छोड़कर कुछ पूंजी व्यय को पिछले वर्षों के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ दिया है।
2. जहाँ किसी प्रमुख समूह के किसी एक या अनेक उप-समूह से संबंधित ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ संबंधित राशि 'अन्य' उप-समूहों के सामने दर्शाई गई है।
3. वर्ष 2005-06 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर, झारखंड के आँकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।
4. योजनेतर व्यय को राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए गए अनुसार संबंधित लेखा-शीर्ष के लिए कुल व्यय से योजना व्यय को घटाकर निकाला जाता है। इसलिए कुछ राज्यों के लिए व्यय लेखा-शीर्ष के अंतर्गत योजनेतर व्यय के ऋणात्मक आंकड़े दिख सकते हैं।
5. सभी आंकड़े पूर्णांकन के अधीन हैं।